



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273518
CG-DL-E-18062026-273518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3035]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3035]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3157(अ). — जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 16 जून 2026 की तिथि का निर्धारण करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहाँ तक उनका संबंध क्रमांक संख्या 48 और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा.सं. 10/52/2024/डीसीएच/प्रवर्तन/पीटी-1]

डॉ. एम. बीना, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 16 day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they related to serial number 48 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985), shall come into force.

[F. No. 10/52/2024/DCH/Enf/Pt-I]

Dr. M. Beena, Addl. Secy. and Development Commissioner for Handlooms